

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 5 जनवरी 2016—पौष 15, शक 1937

गृह (सामान्य) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2016

क्र. एफ 01-55-2009-दो-ए(3).—मध्यप्रदेश लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1974 (क्रमांक 46/1974) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा श्री लखन सिंह तेकाम, आवंटन अधिकारी, संपदा संचालनालय, भोपाल को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक 18 दिसम्बर 2015 से उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नगर निगम, भोपाल सीमाक्षेत्र हेतु सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीजा सरशार जफर, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2016

क्र. एफ 01-55-2009-दो-ए(3).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 5 जनवरी 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीजा सरशार जफर, उपसचिव.

Bhopal, the 5th January 2016

No. F-01-55-2009-2-A(3).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Madhya Pradesh Lok Parisar (Bedakhali) Adhiniyam, 1974 (No. 46 of 1974), The State Government hereby appoints Shri Lakhan Singh Tekam, Allotment Officer, Directorate of Estate, Bhopal as competent authority. With effect from the date 18th December 2015 of taking over charge for the purpose of the said Adhiniyam within the jurisdiction of Municipal Corporation, Bhopal.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
AZIZA SARSHAR ZAFAR, Dy. Secy.